मैसर्स नन्दी इन्वेस्टमेन्ट्स एवं एन्टरप्राईजेज

बनाम

एल.एम. सर्वमंगला

सितंबर 24, 2004

{ अरिजीत पासायत और सी. के. ठक्कर, जे. जे. }

वसूली का दावा-मुकदमे के एक दौर के बाद विशेष अनुमति याचिका को उच्च न्यायालय में पुनः दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने की अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश में सभी तर्कों पर विचार नहीं किया गया। अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः उच्च न्यायालय को सभी तर्कों पर विचार करना चाहिए था क्योंकि विशेष अनुमति याचिका को उच्च न्यायालय में पुनः दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया था। इसलिए, मामले को पुनः नए निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया। भारत का संविधान-अनुच्छेद-136 .

प्रत्यर्थी/वादी में अपीलार्थी/प्रतिवादी फर्म तथा इसके भागीदारो के विरूद्व राशि मय ब्याज वसूली का दावा प्रस्तुत किया। मुकदमें के एक दौर के पश्चात जब मामला अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में पहुँचा था, तो उसे उच्च न्यायालय के समक्ष पुनर्विलोकन याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया। अपीलार्थी ने अपनी पुनर्विलोकन याचिका में विशिष्ट दावा किया कि मूल राशि पर ब्याज को दो बार जोड़ा गया, ब्याज पर ब्याज जोड़ा गया और आयकर के लिए भुगतान की गई राशि में कटौती नहीं की गई। उच्च न्यायालय ने

हालांकि आयकर के लिए भुगतान की गई राशि के समायोजन को मंजूरी दे दी, लेकिन अन्य दो को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह डिक्री के पीछे नहीं जा सकती।

इस न्यायालय में अपील करते हुए अपीलार्थी ने तर्क दिया कि विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति देने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर उच्च न्यायालय को उसके समक्ष उठाए गए विशिष्ट तर्कों पर विचार करना चाहिए था।

आंशिक रूप से अपील स्वीकार करते हुए और मामले को पुनः नए फैसले के लिए उच्च न्यायालय को भेजते हुए, निर्णित आयकर के लिए भुगतान की गई राशि का समायोजन अपीलार्थी-निर्णित ऋणी के पक्ष में स्वीकार गया था। लेकिन, जब उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का कथन था कि मूलधन पर ब्याज दो बार जोड़ा गया था और ब्याज पर ब्याज भी जोड़ा गया था, तो उच्च न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था और पुनर्विलोकन याचिका का निपटारा केवल यह ध्यान में रखते हुए नहीं किया जाना चाहिए था कि निष्पादन न्यायालय में आदेश पारित कर दिया है और वह डिक्री के पीछे नहीं जा सकती है। जब अपीलार्थी ने पुनर्विलोकन दायर करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करने की दृष्टि से विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली, तो उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था कि मूलधन पर ब्याज दो बार जोड़ा गया था या नहीं और क्या वादी डिक्रीदार द्वारा ब्याज पर ब्याज का दावा किया गया था। {661 - डी-एफ}

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील सं. 6274/2004

कर्नाटक उच्च न्यायालय के प्रकरण संख्या सी.आर.पी.सं. 4299/2001 के आर.पी.सं. 804/2002 में निर्णय व आदेश दिनांकित 26.3.2003 से।

उपस्थिति :-

श्री एन.एल.गनपति-अपीलार्थी की ओर से।

सुश्री मिनाक्षी विज-प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा पारित किया गयाः

न्यायाधिपति ठाकुर

1. अनुमति दी गई।

2. उभयपक्षों के विद्वान वकील को सुना।

3. वर्तमान अपील कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन याचिका संख्या 804/2002 दिनांक 26.03.2023 को पारित निर्णय और आदेश जिसमें उक्त याचिका में सी.आर.पी.स. 4299/2001 के आदेश दिनांक 05.07.2002 का आंशिक रूप से पुनर्विलोकन किया गया, के खिलाफ दायर की गई है।

4. हस्तगत प्रकरण का इतिहास उतार-चढाव भरा है। दिनांक 14 सितम्बर 1987 को इस प्रकरण में प्रत्यर्थी ने सिविल न्यायाधीश मैसूर के न्यायालय में अपीलार्थी फर्म तथा इसके भागीदारों मैसूर के न्यायालय में अपीलार्थी फर्म तथा इसके भागीदारों के विरूद्व राशी 2,20,000/- रूपये मय ब्याज वसूली का दावा प्रस्तुत किया था। दिनांक 23 जून 1989 को द्वितीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मैसूर ने स्वीकारोक्ति के आधार पर उक्त वाद में निर्णय पारित किया। हालांकि प्रकरण में डिक्री तैयार होने से पहले उक्त वाद के पक्षकारों ने एक संयुक्त ज्ञापन पेश किया जिसमें यह प्रार्थना की गई कि उक्त निर्णय केवल रूपयों की मूल राशी 2,20,000/- रूपये की हद तक ही पुष्ठ किया जावे तथा अन्य अनुतोषों को मामले के अंतिम निर्णय हेतु खुला

रखा जावे। तदानुसार न्यायालय द्वित्तीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मैसूर द्वारा मूल राशी 2,20,000/- बाबत आंशिक डिक्री पारित की गई। न्यायालय द्वित्तीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश मैसूर द्वारा विचारण के पश्चात शेष विवाद्यकों पर दिनांक 2 फरवरी 1993 को निर्णय पारित किया तथा तदानुसार डिक्री मूर्तिब की गई।

5. दिनांक 05 अक्टुम्बर 1993 को हस्तगत प्रकरण के प्रत्यर्थी ने सिटी सिविल जज बैगलोर के न्यायालय में निष्पादन प्रकरण सं. 1514/1993 अपीलकर्ता फर्म व उसके भागीदारों के विरूद्व दायर करते हुए वाद राशी मय निष्पादन प्रकरण की दिनांक तक के ब्याज सहीत कुल 4,22,269.50 रूपये (अर्थात 2,20,000/- मूल राशी तथा 2,02,269.50 रूपये दिनांक 30 जून 1979 से 14 सितम्बर 1987 तक का 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज जिसमें से डिक्री अनुसार 14,430.95 रूपये काटकर) की मांग की। निष्पादन कार्यवाही के दौरान, यह कहा गया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी को 6,54,566 रूपये भुगतान कर दिए है। दिनांक 23 जनवरी 1999 को प्रत्यर्थी ने निष्पादन प्रकरण सं. 1514/1993 में गणना का ज्ञापन पेश करते हुए यह मांग की कि उक्त दिनांक तक 3,72,204 रूपये अभी भी अपिलार्थी द्वारा डिक्री की पालना में देने शेष है। उक्त ज्ञापन में अपिलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने दिनांक 30 जून 1979 से 14 सितम्बर 1987 तक की मूल राशी पर दो बार ब्याज जोड़कर तथा ब्याज पर ब्याज जोड़कर राशी 4,15,767.25 रूपये अधिक मांग की है। निष्पादन न्यायालय द्वारा दिनांक 16 अप्रेल 1999 को प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत गणना का ज्ञापन स्वीकार करते हुए एक आदेश पारित किया। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने कर्नाटका उच्च न्यायालय बैग्लोर के समक्ष सिविल पुनरीक्षण याचिका सं. 1572/1999 दायर की। उच्च न्यायालय ने 7 जुलाई 1999 को निष्पादन न्यायालय में 50,000/-रूपये जमा करा देने की शर्त पर निष्पादन कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। उक्त शर्त का अपीलार्थी द्वारा अनुपालन किया गया। प्रत्यर्थी-डिक्रीधारी ने उक्त 50,000/-रूपये वापस

लेकर प्रत्यर्थी डिक्रीधारी ने अपीलार्थी/निर्णित ऋणी द्वारा किए गए कुल भुगतान 7,04,566/-रूपये वापस ले लिया। दिनांक 7 जुलाई 1999 को उच्च न्यायालय ने प्रकरण सं. सी.आर.पी.नबंर 1572/99 निस्तारित करते हुए निष्पादन न्यायालय को नए सिरे से राशियों की गणना करने हेतु निर्देशित किया। तदानुसार निष्पादन न्यायालय ने गणना का एक ज्ञापन तैयार किया जिसमें 3,97,380.81 रूपये को अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को देय शेष राशी के रूप में दिखाया गया।

6. अपीलार्थी द्वारा यह आरोप लगाया गया कि गणना ज्ञापन में क्रम सं. 2 व 3 के 4,15,767.25 रूपये की राशी अपीलार्थी द्वारा भूगतान कर देने के बावजूद व इस सबंध में अपीलार्थी की आपति के बावजूद गणना में शामिल किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दिनांक 27 अगस्त 1997 को अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को 50,000/-रूपये की राशि का भुगतान पहले ही कर दिया था जिस पर विचार नही किया गया। इसलिए दिनांक 8 नवम्बर 1999 को अपीलार्थी ने निष्पादन प्रकरण सं. 1514/1999 में लिखित बहस मय डिक्री के तहत अपीलार्थी के अतिरिक्त दायित्व को दर्शाने वाला गणना ज्ञापन पेश किया।

7. निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 14 सितम्बर 2001 के एक आदेश द्वारा अपने कार्यालय द्वारा तैयार गणना ज्ञापन के स्वीकार कर यह निर्णित किया कि अभी भी अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को 3,97,380.81 रूपये देय बकाया था। इससे व्यथित होकर, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल पुनरिक्षण याचिका सी.आर.पी. सं. 4299/2001 दायर की। उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 5 जुलाई 2002 के द्वारा उक्त सी.आर.पी को खारीज कर दिया। उक्त सी.आर.पी के खारीज हो जाने के अनुसरण में निष्पादन न्यायालय ने निष्पादन प्रकरण सं. 1514/1993 में दिनांक 29 अगस्त 2002 को अपीलार्थी की चल संपति कुर्क करने का आदेश पारित किया। उच्च

न्यायालय के प्रकरण सी.आर.पी.संख्या 4299/2001 में दिनांक 5 जुलाई 2002 के आदेश के खिलाफ अपीलार्थी ने विशेष अनुमति याचिका सिविल सं. 12737/2003 दायर करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जिसे उच्च न्यायालय में जाने की स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के कारण खारीज किया गया था। इसके बाद अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष सी.आर.पी. संख्या 4299/2001 में पुनर्विलोकन याचिका संख्या 804/2002 दायर की।

अपीलार्थी की शिकायत यह थी किः-

1. मूलधन पर ब्याज दो बार जोड़ा गया।

2. ब्याज पर ब्याज जोड़ा गया और

3. आयकर के लिए भुगतान किए गए 58300/-रूपये की कटौती नही की गई थी।

8. उच्च न्यायालय ने 26 मार्च 2003 के आक्षेपित आदेश के द्वारा पुनर्विलोकन याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया। ब्याज की गणना के सबंध में, न्याायलय ने माना कि यह निर्णय व डिक्री के अनुसार था। इसलिए निष्पादन न्यायालय इससे आगे नही बढ़ सकता था। जहां तक आयकर के लिए भुगतान की गई राशी का प्रश्न है, डिक्रीदार ने न्यायालय के समक्ष डिक्री राशी से उक्त कटौती देने की बात स्वीकार कर ली। इसलिए, अपीलार्थी ने विशेष अनुमति द्वारा यह अपील दायर की है।

9. हमने पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना है।

10. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि जब इस न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष विशिष्ट विवाद

उठाए गए है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की दृष्टि से विशेष अनुमति याचिका वापस लेने की अनुमति दी गयी थी, तो उच्च न्यायालय को अपने समक्ष उठाए गए तर्को पर विचार करना चाहीए था। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि यह अपीलार्थी का विशिष्ट मामला था कि मूलराशी पर ब्याज दो बार जोड़ा गया था तथा ब्याज पर ब्याज भी जोड़ा गया और आयकर के लिए भुगतान किए 58,300/- रूपये का समायोजन नही किया था। अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यह सत्य है कि पुनर्विलोकन याचिका का निर्णय करते समय 58,300/-रूपये के समायोजन को ध्यान में रखा गया था। लेकिन शेष दोनो मदो के सबंध में उच्च न्यायालय द्वारा यह देखते हुए कोई राहत नही दी गई कि निष्पादन न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित किया गया था जो कानूनी एवं वैध था तथा उच्च न्यायालय द्वारा सिविल पुनरीक्षण याचिका में इसकी पुष्टि की गयी थी। अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विशेष अनुमति याचिका को वापस लेने की अनुमति देने वाले इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मध्यनजर उच्च न्यायालय के लिए यह दायित्व था कि वह प्रस्तुत तर्को पर विचार करे तथा एक निष्कर्ष दर्ज करे कि क्या याचिकाकर्ता निर्णित ऋणी द्वारा उठाए गए तर्क अच्छी तरह से स्थापित थे।

11. दुसरी ओर, प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि पुनर्विलोकन का दायरा सिमित था और उच्च न्यायालय ने इसे अस्वीकार करने में कानून या अधिकार क्षेत्र की कोई त्रुटी नही की है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित तथा कानून के अनुसार था जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि आयकर के लिए भुगतान की गयी राशी के सबध में समायोजन में कटौती की गयी थी।

12. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद हमारी राय में, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जानी चाहिए। अपीलार्थी- निर्णित ऋणी को 58,300/-रूपये

का समायोजन प्रदान किया गया लेकिन जब उस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी-याचिकाकर्ता का दावा था कि मूलधन पर ब्याज दो बार जोड़ा गया था और ब्याज पर ब्याज भी जोड़ा गया था तो उच्च न्यायालय को इस तथ्य पर विचार करना चाहिए था और केवल यह देखते हुए कि निष्पादन न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया था एवं वह डिक्री के पीछे नही जा सकता, इस आधार पर पुर्नविलोकन याचिका का निस्तारण नही करना चाहिए था। हमारी राय में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क सही है कि जब अपीलार्थी ने पुर्नविलोकन याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की दृष्टी से विशेष अनुमति याचिका वापस ले ली थी, तो उच्च न्यायालय को यह निष्कर्ष दर्ज करना चाहिए था कि मूलधन पर ब्याज दो बार जोड़ा गया था या नही तथा क्या वादी डिक्रीदार द्वारा ब्याज पर ब्याज का दावा किया था या नही।

13. उपरोक्त कारणों से, हमारी राय मे, अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को इस हद तक रदद करके अपील स्वीकार की जाती है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के दावे को खारीज कर दिया है। मामले को कानून के अनुसार नए फेसले के लिए उच्च न्यायालय मे भेजा जाता है। हालांकि प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों को देखते हुए, लागत के सबंध में कोई आदेश नही दिया जाता है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार।

के.के.टी.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से मुझ अनुवादक पंकज सांखला, न्यायिक अधिकारी द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण:- यह निर्णय पक्षकारों को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उदेश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्यवहारिक व आधारिकारिक उदेश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उदेश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।